न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे),वाराणसी।
दाण्डिक वाद संख्या–7314 / 2017

सरकार बनाम रमजान अंसारी व अन्य

धारा–379,411भा0दं0सं0
थाना–जी0आर0पी0 कैंट,वाराणसी।
अ0सं0–1437 / 2017

संस्वीकृत बयान मुल्जिम

नाम अभियुक्त–**रमजान अंसारी** पुत्र मुश्ताक अंसारी निवासी कुन्दीपुर पुरानी बाजार सुरियांवा थाना सुरियांवा जिला–भदोही।

प्रश्न–1 अभियोजन कथनानुसार दिनॉक–12.10.2017 को वादी मुकदमा मनोज कुमार दादरी रेवले स्टेशन से साधारण टिकट लेकर लिच्छवी ट्रेन से वाराणसी की सफर कर रहा था कि उसके मोबाईल की आपने चोरी किया और जब दिनॉक–12.11.2017 को समय 2.45 बजे जी.आर.पी.कैन्ट, वाराणसी के पुलिस कर्मचारियो द्वारा आपको रेलवे स्टेशन कैन्ट में बने शौचालय के पास से गिरफतार किया गया तो आपके कब्जे से चोरी का मु0–500 / – रूपये उपरोक्त घटना से संबंधित बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–**जी हॉ**

प्रश्न–2 क्या आप स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर रहे हैं
उत्तर–जी हां

प्रश्न–3 क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर– हां गरीब हूं कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक–05.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित आया। उसके द्वारा अपराध अंतर्गत धारा–379,411 भा0दं0सं0 के अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छा से की है। अतः

उसे धारा–379,411 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दिनांक–05.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कहना है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, यह उसका प्रथम अपराध है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त घटना से संबंधित मु0–500/–रूपये जी0 आर0 पी0 पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। अभियुक्त इस मामले में दिनॉक–12.11.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व हैं। अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है,उसके परिवार का सम्पूर्ण दायित्व उसी पर है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के उक्त तर्कों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है न ही कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थिति में अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त–**रमजान अंसारी** को मु0अ0सं0–579/2016 धारा 379,411 भा0 दं0 सं0 के अपराध में दोष सिद्व किया जाता है।

अभियुक्त–रमजान अंसारी को धारा 379 भा0 दं0 सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त–रमजान अंसारी को धारा 411 भा0दं0सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त का सजा यावी वारण्ट बनाकर जिला–कारागार वाराणसी प्रेषित किया जाय।

दिनांक–05.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी ।